

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग

सं0सं0-ल0ज0सं0/नि0प्र0/नि0जांच-01/2026 **298**

/पटना, दिनांक:- **28/9/24**

संकल्प

चूँकि बिहार राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री रंजन कुमार (गृह जिला-वैशाली) ने, जबकि वे कनीय अभियंता, लघु सिंचाई अनुमंडल, बौसी(बांका) में पदस्थापित थे, उक्त पदस्थापन अवधि के दौरान गोयड़ा लखनपुर वीयर निर्माण योजना कार्य को प्राक्कलन एवं विशिष्ट के अनुरूप सम्पादित नहीं कराने तथा जल संसाधन विभाग के प्रावधान के विरुद्ध S.O.R के Reinforcement के दर में वेस्टेज (Wastage) हेतु 05 प्रतिशत अतिरिक्त राशि का प्रावधान करते हुए सरकार को वित्तीय क्षति पहुँचाने आदि संबंधी अनियमितता बरती है, जैसा कि अनुबंध में अन्तर्विष्ट आरोपों में उल्लेख है।

2. अतएव बिहार राज्यपाल ने यह संकल्प लिया है कि उक्त श्री कुमार के विरुद्ध अनुबंध में विनिर्दिष्ट आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही चलायी जाय। इस अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन के लिए अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को जाँच पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन में जाँच पदाधिकारी को सहयोग प्रदान करने हेतु कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, बांका को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. श्री कुमार से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में जैसा कि जाँच पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष उपस्थित हों एवं अपने बचाव का लिखित अभिकथन उनके समक्ष प्रस्तुत करें।

5. अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन के प्रस्ताव में अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

6. इस कार्यवाही की प्रत्येक सुनवाई की तिथि को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी विभागीय प्रतिनिधि के रूप में जाँच पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित रहेंगे।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र में प्रकाशित की जाय एवं अनुबंध की प्रति के साथ

- (i) अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना(जाँच पदाधिकारी),
- (ii) कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, बांका (प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी),
- (iii) श्री रंजन कुमार, प्राक्कलन पदाधिकारी-सह-सहायक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, समस्तीपुर को कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, समस्तीपुर के माध्यम से आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(संगीता सिंह)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:-

/पटना, दिनांक-

स्पीड पोस्ट/ई-मेल

प्रतिलिपि:- अनुबंध की प्रति के साथ अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना(जाँच पदाधिकारी)/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, बांका (प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी) एवं श्री रंजन कुमार, प्राक्कलन पदाधिकारी-सह-सहायक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, समस्तीपुर को कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, समस्तीपुर के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2. जाँच पदाधिकारी से अनुरोध है कि वे कृपया कार्यवाही तुरंत प्रारंभ कर दें एवं इस कार्यवाही का निष्पादन यथाशीघ्र करते हुए जाँच प्रतिवेदन अपने निष्कर्ष के साथ तीन प्रतियों में समर्पित करने का कष्ट किया जाय ।

3. अनुलग्नक:-

- (i) विहित प्रपत्र में वर्णित आरोप पत्र(साक्षियों की सूची के साथ)
- (ii) आरोप पर आधारित साक्ष्यों की छायाप्रति
- (iii) विभाग द्वारा पूछे गए स्पष्टीकरण की छायाप्रति
- (iv) आरोपित पदाधिकारी द्वारा समर्पित बचाव का लिखित अभिकथन

ह0/-

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:-

परिचारी बही

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग(ई-गजट प्रशाखा), बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में (सी0डी0 के साथ) प्रकाशनार्थ प्रेषित।
अनु0-यथोक्त ।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव

/पटना, दिनांक-

ज्ञापांक:-

6274

स्पीड पोस्ट/ई-मेल

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, भागलपुर/मुजफ्फरपुर/अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, भागलपुर/दरभंगा/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, समस्तीपुर/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01 एवं आई0टी0 मैनेजर, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

आई0टी0 मैनेजर, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को निदेशित किया जाता है कि उक्त संकल्प को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करते हुए संकल्प का सी0डी0 तैयार कर प्रेषण शाखा/निर्गत शाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय ।

सरकार के अपर सचिव

23/9/26